

दिनांक **08.09.2018**

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

वकील परिवादी उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

परिवादी के अधिवक्ता **जाकीर गोरी** ने हाजा प्रकरण विद्धो का प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त की राज्य सरकार ने प्रकरण में प्रश्नगत चैक की सम्पूर्ण राशि माफ कर दी है।

अतः परिवादी की प्रकरण विद्धो करने कि अनुमति दी जाती है।

पत्रावली जरिये विद्धो फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अध्यक्ष,

सदस्य